

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 18] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 25, 1975/माघ 5, 1896

No. 18] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 25, 1975/MAGHA 5, 1896]

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संस्था दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 25th January 1975

SUBJECT:—*Export against Commodity Grant of Rs. 20 million extended by the Government of India to the Govt of Bangladesh.*

No. 3-EIC(PN)/75.—It has been mutually agreed by the Governments of India and Bangladesh that the export under the above mentioned Commodity Grant will be allowed from India to Bangladesh in respect of commodities indicated below within the financial ceilings mentioned against each of them:—

	(Rupees in Lakhs)	
1. Wheat Seeds	..	21.50
2. Salt	..	60.00
3. Paddy Seeds	..	48.00
4. Other Seeds	..	6.00
5. Stones and Boulders	..	25.00
6. Wood and Timber	..	30.00
7. Other items to be specified	..	9.50
Total		<u>200.00</u>

2. Exports under this arrangement will be allowed through eligible exporters. The eligible exporter for this purpose will be any person authorised under the law to do business in India and who may be willing to undertake exports from India to Bangladesh in terms of the conditions prescribed in this Public Notice, and whose application conforms to the provisions of the Public Notice. Export licences/endorsements on Shipping Bills will be granted to eligible exporters by the Jt. Chief Controller of Imports and Exports, Calcutta. Applications for grant of export licences or for endorsements on the shipping bills for exports will be required to be made to the Joint Chief Controller of Imports & Exports, Calcutta even in respect of commodities of which the export from India is not controlled under the Exports (Control) Order. The licensing authority for this purpose will be the Joint Chief Controller of Imports and Exports, Calcutta even if the exports have to be made from a port other than Calcutta.

3. Before applying for an export licence/endorsement of Shipping Bill, the intending exporter will be required to negotiate with the eligible importer in Bangladesh holding an import licence or an authorisation to import goods into that country under the Grant mentioned above. All exports under this provision shall be against contracts supported by irrevocable Letters of Credit. All contracts will be subject to the approval of the Government of India, and the Government of the People's Republic of Bangladesh and shall contain a clause to that effect. All contracts shall be sent to the Economic Division of the Ministry of External Affairs, Government of India, for approval. After each contract has been approved, intimation thereof will be sent to the Government of the People's Republic of Bangladesh and to the State Bank of India, Chowringhee Branch, Calcutta, by the Ministry of External Affairs, Government of India.

4. The contracts to be financed under this Commodity Grant should be signed and the irrevocable Letters of Credit established on or before the 30th June 1975. The Letter of Credit will cover C & F Value of the goods upto Indo-Bangladesh Border when transported to Bangladesh by rail or upto the port of disembarkation when transported by sea in vessels of India Flag. If the goods are transported in non-Indian owned vessels, the Letter of Credit will cover the f.o.b. value of such goods. As regards export of 13000 MT of Salt which has already been allowed through S.T.C. against this Commodity Grant, the condition of production of Letter of Credit is hereby waived.

5. Export licences issued and the Shipping Bills endorsed in pursuance of this Public Notice will be stamped as under:—

"Exports against Commodity Grant of Rs. 20 million extended to Bangladesh by the Government of India".

6. The following conditions shall be imposed on the export licences/endorsements of Shipping Bills:—

- (i) the payment in respect of exports shall be made through the Commodity Grant of Rs. 20 million extended to Bangladesh.
- (ii) the goods exported under this licence/shipping bill shall not be re-imported into India.

7. Payments in respect of these exports will be made to the exporter, or their bankers in India by the State Bank of India, Chowringhee Branch, Calcutta on presentation of necessary documents in accordance with the prescribed procedures.

8. Exports made to Bangladesh under the provisions of this Public Notice will not qualify for the benefits available to exporters under the import policy for registered exporters.

B. D. KUMAR,
Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

माबर्जनिक सूचना

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 1975

विषय .—भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश सरकार को 2 करोड़ रुपये के लिए, बढ़ाए गए पण्यवस्तु अनुदान के मद्दे निर्यात ।

सं० 3-ई० टी० सी० (पी० एन०)/75.—भारत और बांग्लादेश की सरकारों के बीच पारस्परिक यह सहमति हुई है कि उपर्युक्त पण्यवस्तु अनुदान के अन्तर्गत भारत से बांग्लादेश को नीचे

उल्लिखित पण्यवस्तु के सम्बन्ध में निर्यात की स्वीकृति प्रत्येक के सामने अंकित उच्चतम वित्तीय सीमा के भीतर ही दी जाएगी :—

(लाख रुपयों में)

1. गेहूं का बीज	21.50
2. नमक	60.00
3. धान के बीज	48.00
4. अन्य बीज	6.00
5. पत्थर एवं गोला पत्थर	25.00
6. लकड़ी तथा इमारती लकड़ी	30.00
7. विशिष्टीकृत किए जाने वाली अन्य मर्दे	9.50

कुल 200.00

2. इस व्यवस्था के अन्तर्गत निर्यातों की स्वीकृति पात्र निर्यातकों के माध्यम से दी जाएगी। इस उद्देश्य के लिए कोई भी पात्र निर्यातक होगा जो कानून भारत में व्यापार करने के लिए प्राधिकृत होगा और इस सार्वजनिक सूचना में निर्धारित शर्तों के अनुसार भारत से बांग्लादेश में निर्यात करने के लिए यचन पत्र देने को इच्छुक हो और जिसके आवेदन पत्रों की पुष्टि इस सार्वजनिक सूचना के उपबन्धों से हो जाती है। पात्र निर्यातकों को निर्यात लाइसेंस/पोतलदान बिलों पर पृष्ठांकन संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात, कलकत्ता, द्वारा प्रदान किए जाएंगे। निर्यात लाइसेंसों या पोतलदान बिलों पर पृष्ठांकन प्रदान किए जाने के लिए आवेदन संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, कलकत्ता को उन मर्दों के सम्बन्ध में भी करना जरूरी होगा जिसका भारत से निर्यात निर्यात (नियंत्रण) आदेश के अन्तर्गत नियंत्रित नहीं है। संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, कलकत्ता उन मामलों में भी इस उद्देश्य के लिए लाइसेंस प्राधिकारी होंगे जिनका निर्यात कलकत्ता से भिन्न किसी अन्य पत्तन में भी किया जाता है।

3. निर्यात लाइसेंस/पोतलदान बिल पर पृष्ठांकन के लिए आवेदन करने से पहले इच्छुक निर्यातक को बांग्लादेश में आयात लाइसेंस के धारक या ऊपर उल्लिखित अनुदान के अधीन उस देश में आयात करने के लिए एक प्राधिकरण के धारक पात्र आयातक से बातचीत करना आवश्यक होगा। इस शर्त के अधीन सभी निर्यात अपरिवर्तनीय साखपत्र द्वारा समर्थित संविदाओं के प्रति होंगे। सभी संविदाएं भारत सरकार और बांग्लादेश जनवादी गणतंत्र सरकार के अनुमोदन के अधीन होंगी और उन में इस सम्बन्ध में एक धारा निविष्ट होगी। सभी संविदाएं अनुमोदन के लिए आर्थिक प्रभाग, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार को भेजी जाएंगी। प्रत्येक संविदा अनुमोदित हो जाने के बाद उसकी सूचना विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश जनवादी गणतंत्र सरकार को और स्टेट बैंक आफ इण्डिया, चौरंगी ब्रांच, कलकत्ता को भेजी जाएगी।

4. इस पण्यवस्तु अनुदान के अधीन वित्तदान की गई संविदाएं हस्ताक्षरित होनी चाहिए और अपरिवर्तनीय साखपत्र 30 जून 1975 को या इससे पहले स्थापित किया जाना चाहिए। जब माल रेल द्वारा बांग्लादेश को ले जाया जाए तो भारत-बांग्लादेश सीमा तक या जब भारतीय

ध्वज के जलयान में समुद्र द्वारा माल ले जाया जाए तो माल उतारने के पत्तन तक माल का लागत और भाड़ा साखवत में शामिल होगा। यदि माल गर-भारतीय जलयानों में ले जाया जाएगा तो ऐसे माल का जहाज पर निशुल्क मूल्य साखवत में शामिल होगा। 13000 मी० टन नमक जिसकी पण्यवस्तु अनुदान के प्रति राज्य व्यापार निगम के माध्यम से पहले ही अनुमति दे दी गई है, के निर्यात के सम्बन्ध में एन्द्द्वारा साखवत प्रस्तुत करने की शर्त से छूट दी जाती है।

5. इस सार्वजनिक सूचना के अनुमरण में जाी किए गए लाइसेंसों और पृष्ठांकित किए गए पोतलदान बिलों पर निम्नलिखित अनुसार मोहर लगाई जाएगी :—

“भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश को बढ़ाये गये 2 करोड़ रुपये के पण्यवस्तु अनुदान के मद्दे निर्यात।”

6. निर्यात लाइसेंसों/पोतलदानों बिलों के पृष्ठांकनों पर निम्नलिखित शर्तें लगाई जाएंगी :—

(1) निर्यात के सम्बन्ध में भुगतान बांग्लादेश को बढ़ाए गए 2 करोड़ रुपये के पण्यवस्तु अनुदान के माध्यम से किया जाएगा।

(2) इस लाइसेंस / पोतलदान बिल के अधीन निर्यात किए गए माल का भारत में पुन आयात नहीं किया जाएगा।

7. इन निर्यातों के सम्बन्ध में भुगतान निर्यातकों या उनके बैंकरो को स्टेट बैंक आफ इंडिया, चौरंगी ब्रांच, कलकत्ता द्वारा आवश्यक दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण पर निर्धारित श्रिया-विधि के अनुसार किए जाएंगे।

8. इस सार्वजनिक सूचना की शर्तों के अधीन बांग्लादेश को किए गए निर्यात जीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अन्तर्गत निर्यातकों को उपलब्ध लाभों के लिए पात्र नहीं बनाएंगे।

बी० डी० कुमार,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।